पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 83/2019

अनवान :

1. कैलाश पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र आशराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. निशा पुत्री प्रहलाद पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी हाल परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 डी.पी.एन. की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया/पुराना 58/48 के मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 व मुरब्बा नं0 36 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 20 व मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 9 से 25 व मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 8 से 13, 18 से 23 व मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 1 से 3,9, 10, मुरब्बा नं0 56 के किला नं0 1 से 8 इस खाता की कुल 17.4570 हैक्टेयर कृषि भूमि जिसमे नहरी 13.1190 हैक्टेयर बारानी 3.9960 हैक्टेयर गैर मु0 रास्ता 0.1170 हैक्टेयर गैर मु0 खाला 0.2250 हैक्टेयर जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व चक 7 डी.पी.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया/पुराना 42/40 के मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 7, 8, 12 से 14, 17 से 19, 22 से 24 व मुरब्बा नं0 60 के किला नं0 2 से 4 इस खाता की कुल 3.0860 हैक्टेयर जिसमे नहरी 3.0110 हैक्टेयर गैर मु0 खाला 0.0750 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व चक 1 एन.टी.आर. की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया/पुराना 46/44 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 23, 24 व मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 14 इस खाता की कुल 1.7710 हैक्टेयर नहरी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वाद भूमि है। उक्त तीनों खातों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

03.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

प्रकरण सं0 : 83/2019

अनवान :

1. कैलाश पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र आशराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. निशा पुत्री प्रहलाद पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी हाल परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : **वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 03.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 डी.पी.एन. की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया/पुराना 58/48 के मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 व मुरब्बा नं0 36 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 20 व मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 9 से 25 व मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 8 से 13, 18 से 23 व मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 1 से 3,9, 10, मुरब्बा नं0 56 के किला नं0 1 से 8 इस खाता की कुल 17.4570 हैक्टेयर कृषि भूमि जिसमे नहरी 13.1190 हैक्टेयर बारानी 3.9960 हैक्टेयर गैर मु0 रास्ता 0.1170 हैक्टेयर गैर मु0 खाला 0.2250 हैक्टेयर जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व चक 7 डी.पी.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया/पुराना 42/40 के मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 7, 8, 12 से 14, 17 से 19, 22 से 24 व मुरब्बा नं0 60 के किला नं0 2 से 4 इस खाता की कुल 3.0860 हैक्टेयर जिसमे नहरी 3.0110 हैक्टेयर गैर मु0 खाला 0.0750 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व चक 1 एन.टी.आर. की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया/पुराना 46/44 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 23, 24 व मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 14 इस खाता की कुल 1.7710 हैक्टेयर नहरी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वाद भूमि है।

03.06.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपरोक्त वर्णित तीनों खातो की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज है, वह उसे अपने पिता आशराम पुत्र चेतराम जाति जाट डुडी से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उपर वर्णित वाद कृषि भूमि दादालाई पुस्तैनी जदी जायदाद है, जिसमे वादी का जन्म से हक–हिस्सा है।

वाद भूमि की बाबत वादीगण व प्रतिवादी के मध्य आपस मे पारिवारिक मौखिक समझौता दिनांक 04.03.2019 को शिवरात्री के दिन सम्पन्न हुआ था। जिसमे प्रतिवादीया संख्या 2 जो वादी की सगी बहन है, वाद भूमि मे अपने पिता के जीवनकाल मे प्राप्त होने वाला समस्त हक–हिस्सा अर्थात अपना 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 के पक्ष मे तर्क कर दिया था। चूंकि : पारिवारिक समझौता राजीनामा मे जो प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम तीनों खातो की 1/2 हिस्सा भूमि जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिस्सा बराबर के काश्तकार होगें एवं इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज है, उसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है, एवं उक्त भूमि मे प्रतिवादीया संख्या 2 का कोई हक–हिस्सा नही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी कैलाश पुत्र प्रहलाद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 5 डीपीएन के खाता सं0 58/48 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 एनटीआर के खाता सं0 46/44 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7 डीपीएन के खाता सं0 42/40 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, चित्रप्रति पासबुक प्रदर्श 4, 5, 6, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाऐ।.

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी जदी जायदाद है। प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने चक 5 डीपीएन, 7 डीपीएन व 1 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी जदी जायदाद होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने चित्रप्रति पासबुक प्रदर्श 4, 5, 6, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा आसराम वल्द चेतराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी सं0 1 की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 7 में प्रहलाद के वारिसान में एक पुत्र कैलाश व एक पुत्री निशा होना व इनके अलावा अन्य कोई सन्तान नहीं होना अंकित है। इसके अलावा वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 की पत्नि पुष्पा व वादी सं0 1 की माता के हक की घोषणा करवाने हेतु अनुतोष चाहा है किन्तु पति के जीवनकाल में वादीया सं0 1 वाद भूमि में अपने हक की घोषणा करवा पाने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वाद वादीगण आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

02.5.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 डी.पी.एन. की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया/पुराना 58/48 के मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 व मुरब्बा नं0 36 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 20 व मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 9 से 25 व मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 8 से 13, 18 से 23 व मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 1 से 3,9, 10, मुरब्बा नं0 56 के किला नं0 1 से 8 इस खाता की कुल 17.4570 हैक्टेयर कृषि भूमि जिसमे नहरी 13.1190 हैक्टेयर बारानी 3.9960 हैक्टेयर गैर मु0 रास्ता 0.1170 हैक्टेयर गैर मु0 खाला 0.2250 हैक्टेयर जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व चक 7 डी.पी.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया/पुराना 42/40 के मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 7, 8, 12 से 14, 17 से 19, 22 से 24 व मुरब्बा नं0 60 के किला नं0 2 से 4 इस खाता की कुल 3.0860 हैक्टेयर जिसमे नहरी 3.0110 हैक्टेयर गैर मु0 खाला 0.0750 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि व चक 1 एन.टी.आर. की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया/पुराना 46/44 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 23, 24 व मुरब्बा नं0 35 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 14 इस खाता की कुल 1.7710 हैक्टेयर नहरी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वाद भूमि है। उक्त तीनों खातों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

03.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़